संख्या:- 7/2015/415 /61-2015-61(23)/2003.

प्रेषक,

रमाकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 09 जून, 2015

विषय: डी0आर0डी0ए0 भवन में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय, मथुरा को किराये पर बनाये रखने एवं किराया भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 434/सी0ई0ओ0-3, दिनांक 29 मई, 2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-914/61-2013-61(23)/2003 दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय डी0आर0डी0ए0 भवन, मथुरा में स्थापित जिला निर्वाचन कार्यालय, मथुरा जिसका कुल कारपेट एरिया 1966 वर्गफीट है, को दिनांक 29-02-2016 तक रू0 3,000/-(रूपये तीन हजार मात्र) प्रति माह की दर से किराये पर यथावत् बनाये रखने तथा दिनांक 01 मार्च, 2014 से 29 फरवरी, 2016 तक (24 माह) किराये की धनराशि रू0 72,000/- (रूपये बहत्तर हजार मात्र) के भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त से संबंधित व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-41 के अधिन लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन-आयोजनेतर-103- -निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-5-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-17- किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व" के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-970/दस-96-24(7)-95, दिनांक 28 जून, 1996 में प्राप्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या: 7/2015/415(1)/61-2015-61(23)/2003., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ (आडिट) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा।.
(3) कोषाधिकारी, मथुरा।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12.

आज्ञा से,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.upnic.in

http//shasanadesh.up.nic.in